समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. निगरानी– / ।।/ 2017 बिदिशा

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3863

1. अमानसिहं आ0 श्री परमानन्द
2. गोपीलाल आ0 स्व0 श्री परमानन्द
   निवासी ग्राम असदखेडी तहसील सिरोंज
   जिला बिदिशा म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1. कमलाबाई पुत्री श्री घसीटा पत्नी श्री ओमकार
   निवासी ग्राम हिनोतिया तहसील आरोन
2. मोवतिया आ0 श्री बसोडा
   निवासी ग्राम असदखेडी तहसील सिरोंज
   जिला बिदिशा म0प्र0
3. धनियाबाई पुत्री बसोडा
   निवासी मोहल्ला बायपास रोड आरोन
4. रामकृष्ण (अवयस्क)
5. पार्वतीबाई (अवयस्क)
6. कमरबाई (अवयस्क)
7. करई बाई (अवयस्क)
   द्वारा सरक्षक एवं मॉ श्रीमती गीताबाई पत्नी हरी
   आ0 श्री मिश्रीलाल निवासी ग्राम असदखेडी तहसील
   सिरोंज जिला बिदिशा म0प्र0 ....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण कि ओर से विद्वान अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला बिदिशा द्वारा उनके प्रकरण क्र. 31/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30/08/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि असद... सिरोंज जिला बिदिशा स्थित भूमि सर्वे क0 13, 122 एवं ... 4.566 हेक्टयर था । उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेद... अनावेदकगण के नाम पर सयुक्त रूप से दर्ज थी। ... अनावेदक क0 2 द्वारा अधिनस्थ तहसील न्याया... प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ... भूमि का पृथक बटवारा किया जावे । ... 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर तहसील ... समी हितबद्व पक्षो को नियमानुसार सूचना पत्र की तामीली ... गयी।

XXIX(a)-BR(H)-11

(287)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3863

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से .अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	